

**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, छबड़ा**

No. : 425

Dated : 27/07/2023

To,

Divisional Forest Officer District Baran,

विषय :- Diversion of 13.558 ha. of forest land for upgradation Kota-Dharanawada Road Km.  
132/500 to 137/500

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/6979/2014

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We Submitting the Reply for the EDS Raised by forest Department for the Proposal as follows.

S.No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
1	Details of alternative examined have not been given	कोटा धरनावदा मार्ग संख्या 1980 से पूर्व का बना हुआ प्रचलित मार्ग है। जो लगभग सन। 1975 में गेवल सड़क बनी थी जिसका डामरीकरण का कार्य 1984-85 में किया गया था। यह मार्ग धरनावदा होते हुए मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है व स्टेट हाइवे है। इस मार्ग पर थर्मल प्लांट होने के कारण काफी आवागमन रहता है। उक्त सड़क न्यूनतम वन क्षेत्र से गुजरती है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। क्योंकि यह सड़क 1975 से गेवल सड़क हैं अतः उक्त मार्ग में पड़ने वाली पूर्ण वन भूमि की प्रत्यावर्तन की आवश्यकता है। इस मार्ग के बाईं ओर कोई भी वैकल्पिक मार्ग लेने पर राजस्थान सीमा तक वन भूमि आती है। तथा इस मार्ग के दांयी ओर छबड़ा से धरनावदा जाने के लिये हिंगलोट, पाली , फलिया फाटक होते हुए धरनावदा पहुँचा जा सकता है। इसके लिये करीब 17 कि. मी. अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी तथा यह स्टेट हाइवे होने के कारण यह Strengthening का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः इसके अतिरिक्त विकल्प लेने पर अधिक वन भूमि व अधिक लागत आयेगी। अतः अन्य विकल्प उचित नहीं है। संलग्न – इण्डेक्स मेप
2	Layout plan and cross section showing the forest area requirement and area calculation has not been provided.	यद्यपि निर्माण कार्य 18 मी. चौड़ाई में किया गया है। किन्तु उक्त सड़क स्टेट हाइवे होने के कारण IRC-73 के अनुसार Minimum road land width 30 मी. होनी आवश्यक है। अतः भविष्य की प्लानिंग, पौधारोपण व IRC की गाइड लाइन के अनुरूप 30 फीट की चौड़ाई में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं संलग्न IRC-73 की प्रति
3	Required no objection certificate is not provided	

4	Violation of FCA Act has been reported & FIR has been lodged against contractor driver by ROF . However area of viloation has not been specified	दिनांक 1.06.2013 को पदस्थापित अधिकारियों एवं वर्तमान पदस्थापन की सूचना तथा वर्क ऑर्डर की कॉपी एवं कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की प्रति भी अधिशाषी अभियन्ता के पत्रांक 2244 दिनांक 31.05.2018 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित कर दी गई है ।श्रीमान उप वन संरक्षक बारों द्वारा Site Inspection Report में कुल 4.00 हेक्टर वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाया गया है।
5	Entire area falling under forest proposed for construction has been included in diversion proposal, whereas the road is claimed to be pre-existing. It nees clarification	यद्यपि कोटा धरनावदा मार्ग संख्या 1980 से पूर्व का बना हुआ प्रचलित मार्ग है। जो लगभग सन। 1975 में ग्रेवल सड़क बनी थी जिस पर 1 लेन सड़क डामरीकरण का निर्माण 1984-85 में किया गया था किन्तु 2013 में उक्त सड़क का सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य किया जाना था । इस हेतु सड़क का पूरा एरिया डायवर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।
6	As per DSS Analysis 1 ha. Only out of 13.56 ha. Proposed for CA is not found suitable. This may be reexamined	DSS Analysis के अनुसार अनउपयुक्त भूमि जिसके अन्तर्गत प्लान्टेशन का कार्य नहीं होगा इसके अन्तर्गत अन्य बतायानुसार वन भूमि में प्लान्टेशन कार्य कर दिया जायेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



अधिशाषी अभियन्ता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड छबड़ा